कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–40/2018 श्री अजय कुमार बनाम पंचायत रोजगार सेवक, विशुनपुरवा, कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ादानों।

वाद का वर्णन

परिवादी श्री अजय कुमार, पिता–श्री घुपलाल राय, ग्राम–विशुनपुरवा, थाना–दरपा, पो0–सिसवनिया, प्रखंड–छौड़ादानों, मोतिहारी ने दिनांक–13.07.2017 को आवेदन प्रपत्र–1 में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के यहाँ इस आशय से संबधित उप विकास आयुक्त के पत्रांक–110 दिनांक–15.02.2015 के पत्र का कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ादानों द्वारा अनुपालन नहीं करने एवं विशुनपुरवा, हिरामणी नहर में सैकड़ों हरा पौधा, नागार्जुन कॉन्सट्रक्शन द्वारा क्षति पहुँचाने से संबंधित है,जिसे उनके द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मोतिहारी को अंतरित कर दिया गया, जिसे पुनः उन्होने लोकपाल मनरेगा को अंतरित कर दिया। यह भी विदित है कि परिवादी द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी माह जनवरी 2015 में रामपुर में कॉन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा जे0सी0बी0 से नहर उड़ाही कार्य के क्रम में लगभग 100 वृक्षों को उखाड़ दिया गया है एवं सड़क से हिमानी सिवान तक लगाये गये 100 वृक्षों को स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा काट लिया गया है, से संबंधित आवेदन अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रक्सौल एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार मुजफ्फरपुर एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय समाहर्त्ता सह– लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मोतिहारी के यहा भी अपील वाद दायर की गई थी।

कार्रवाई/सुनवाई

अतः उक्त आवेदन के आलोक में वाद दायर कर पंचायत रोजगार सेवक, विशुनपुरवा, कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ादानों को नोटिस जारी कर संबंधित अभिलेखों के साथ एवं विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदनों की मांग की गई। साथ ही परिवादी को भी सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस तामिला कराया गया एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मोतिहारी एवं कार्यपालक अभियंता, सिचाई एवं नहर विभाग, मोतिहारी को भी वाद से संबंधित पत्र निर्गत किया गया।

परिवादी मात्र एक तिथि में उपस्थित हुए एवं वाद से संबंधित कोई भी साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत नहीं किए एवं बाद के सुनवाई की तिथियों में अनुपस्थित थे। वन प्रमंडल मोतिहारी एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई एवं नहर विभाग, मोतिहारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ादानों द्वारा वाद से संबंधित अपने स्तर से विस्तृत जाँचकर , जाँच प्रतिवेदनों के साथ, लेखा अभिलेख एवं साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत किया गया, जो कि वाद से संबंधित संचिका में संलग्न है।

विचारणीय बिन्दु

1. क्या मेसर्स नागार्जुन कॉन्सट्रक्शन एवं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पेड़ों (वृक्षों) को काटने की परिवादी द्वारा दी गई सूचना सही है?
2. क्या दी गई सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई?

निष्कर्ष/निर्णय

पत्रावली और पंचायत रोजगार सेवक, कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ादानों द्वारा समर्पित विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत अभिलेखों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मेसर्स नागार्जुन कॉन्सट्रक्शन द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से नहर का उड़ाही कार्य करने के समय मनरेगा योजना के तहत लगाई गई वृक्षों को क्षति पहुँचाई गयी थी। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई एवं नहर प्रमण्डल, मोतिहारी द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, (मनेरगा) छौड़ादानों से या विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी, सूचक द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ादानों द्वारा विभागीय उच्चधिकारियों (सक्ष्म पदाधिकारी) द्वारा प्राप्त आवश्यक दिशा–निर्देश के आलोक में विधिसम्मत् ससमय आवश्यक कार्यवाही की गई थी, जिसके परिणाम स्वरुप पंचायत रोजगार सेवक, रामपुर द्वारा पत्रांक–02 दिनांक–23.01.2018 के द्वारा थाना–दरपा पूर्वी चम्पारण में U/S–379, IPC–PSI के तहत प्राथमिकी संख्या–08/2018 निबंधित करायी गई थी, जिसके फलस्वरुप जिलाधिकारी–सह–द्वितीय अपीलीय न्यायालय समाहर्त्ता–सह–लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने वाद के सुनवाई के क्रम में ज्ञापांक–172 दिनांक–28.03.2018 के द्वारा थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश देते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया था।

परिवादी ने एक ही वाद को एक कार्यालय से निष्पादित होने के बाद पुनः प्रथम अपीलीय, द्वितीय अपीलीय एवं विभागीय अपीलीय, पटना में सार्वजनिक सम्पति के क्षति को बिना किसी साक्ष्य के व्यक्ति विशेष का नाम देकर व्यक्तिगत स्वार्थ साधने की असफल अनावश्यक रुप से कोशिश की गई, प्रमाणित होता है कि एक ही विषय पर बार–बार वाद दाखिल किया गया, जिसमें एकरुपता भी नहीं पायी गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ादानों ने सार्वजनिक हित में एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु मुखिया को निजी रुप से पुनः पेड़ लगा देने की व्यक्तिगत सलाह पत्र के माध्यम से दी है।

पंचाट/अधिनिर्णय

विभिन्न प्रस्तुत साक्ष्यों , लेखों अभिलेखों पाँचों कार्यालयों अर्थात् लोक शिकायत एवं संबधित अपीलीय न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश एवं विस्तृत जाँच प्रतिवेदनों के अनुसारः–

1. परिवादी द्वारा दी गई सूचना आंशिक रुप से सही पाया गया।
2. परिवादी द्वारा दी गई परिवाद पर उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई दिशा–निदेश के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विधि सम्मत्, ससमय, आवश्यक कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप गलत साबित होता है।
3. कार्यपालक अभियंता सिंचाई एवं नहर प्रमण्डल, मोतिहारी ने बिना सक्ष्म पदाधिकारी के आदेश के मेसर्स नागार्जुन कॉन्सट्रक्शन द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से की गई उड़ाही में सावधानी नहीं बरतने के कारण सरकार की सम्पति की एवं पर्यावरण की क्षति हुई। जिसे (राशि) की आकलन कर कम्पनी को की गई भुगतान से क्षतिपूर्ति की राशि यथा शीघ्र

4. वसूली कर मनरेगा के जमा शीर्ष में राशि जमा कराई जाय एवं इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय। अन्यथा संबंधित दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक विभागीय कार्यवाई की जाय।
5. पत्र द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मोतिहारी को अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी, रक्सौल द्वारा दी गई निर्णय यथा वन सरंक्षण अधिनियम के तहत पेड़ों का रख–रखाव करना था, एवं उप विकास आयुक्त द्वारा दी गई आदेश की भी अवहेलना की गई थी। अतः वन प्रमण्डल के उच्चधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्णय दिया जाता है।
6. जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक–172 दिनांक–28.03.2018 द्वारा प्राथमिकी के संबंध में थानाध्यक्ष को दी गई आदेश पर कार्यवाही जारी रहेगी।
7. परिवादी द्वारा गलत शिकायत करने पर विकास का काम बाधित होता है, जिसके लिए उन्हें चेतावनी दी जाती है।

उक्त वाद को निष्पादित किया जाता है।

ह०

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–54 /दिनांक–11.09.18

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिलाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, छौड़ादानों / पंचायत रोजगार सेवक, विशुनपूरवा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

11/9/18

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।